29- एक मृतक के दायदों के बीच एक पारिवारिक विवादों का समाधान यह पारिवारिक विवादों का समाधान

क ख, आयु लगभग.....वर्ष ञ च का कथित दत्तक पुत्र (Adopted Son) (जिसे आगे ''प्रथम पक्षकार'' कहा गया है और जो उक्त समाधान का एक पक्षकार है, ख ग, आयु लगभग..... वर्ष, ञ च की कथित पुत्री (जिसे आगे ''द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) और जो उक्त समाधार का दूसरा पक्षकार है; तथा ग च, आयु लगभग .....वर्ष, ञ च की कथित विधवा (जिसे आगे ''तृतीय पक्षकार'' कहा गया है) और जो उक्त समाधान का तीसरा पक्षकार है और सभी पक्ष ..... नगर में..... .....के निवासी हैं, के बीच 20.....वर्ष के.....के .....दिन को किया गया।

चूँकि उक्त ञ च की (जिसे आगे ''मृतक'' कहा गया है) मृत्यु सन् 1958 के नवम्बर के चौथे दिन ..... के अपने निवास स्थान पर हुई और वह अपने पीछे इस समाधान से संलग्न अनुसूची ''क'' तथा ''ख'' में उल्लिखित तथा वर्णित ब्यौरे वाली यथेष्ट सम्पत्ति छोड़ गये; और चूंकि उक्त क ख, ख ग, ग च नीचे उल्लिखित अपने–अपने अधिकारों के आधार पर मृतक का कथित दायर होने का दावा करते हैं और दूसरे पक्षकार ने अन्य पक्षकारों को दिनांक.....की एक सूचना दी है और तीसरे पक्षकार ने भी दिनांक..... की एक सूचना दी है, जिनमें मृतक द्वारा छोड़ी गयी सम्पत्ति के स्वामित्व तथा कब्जे के लिए दावे किये गये हैं; और चूँकि क ख का यह अभिकथन है कि मृतक ने उसका अपनी पत्नी ट ठ के साथ बर्मा जाने तथा वहाँ एक ठेकेदार के रूप में बसने के पूर्व ही 10 मई, 1930 को दत्तक–ग्रहण

किया था और चूंकि ख ग का यह अभिकथन है कि वह उक्त ट ठ तथा मृतक की प्राकृतिक रूप से (Natural Born) जन्म पुत्री है और उक्त ख ग के जन्म के समय ट ठ की अस्पताल में प्रसव के तुरन्त बाद ही मृत्यु हो गयी; और चूँकि ग घ का यह अभिकथन है कि उससे बर्मा में 14 जून, 1938 को विधिवत् विवाह किया गया और वह विधि की दृष्टि में मृतक की विधवा है; और चूँकि प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार के दावे को अस्वीकार करता है और मुकदमेबाजी सन्निकट (Imminent) प्रतीत होता है और उसमें सारी पारिवारिक सम्पत्ति समाप्त हो जायेगी; और चूँकि मित्रों और हितैषियों के बीच में पड़ने से यह पारिवारिक विवादों का समाधान सामान्य तथा पारिवारिक लाभ के उद्देश्य से तथा पारिवारिक झगड़ों तथा मुकद्मेबाजी से बचने के प्रयोजनार्थ किया गया है और उसके द्वारा पक्षकारों पर निम्नलिखित शर्तें अपरिवर्तनीय (Irrevocable) रूप से बाध्य होंगीः–

(1) यह कि प्रथम पक्ष, अभिकथित (Alleged) दत्तक–पुत्र 'क'

(स्थावर सम्पत्ति की सूची) के मद संख्या–1 तथा 2 में उल्लिखित तथा वर्णित सम्पत्ति पर एकमात्र कब्जा और दखल किये हैं और इस सम्पत्ति को मृतक ने बर्मा जाने तथा बसने के पूर्व अर्जित (acquired) किया था और जो उस समय से क ख के अनन्य उपयोग में है और उक्त प्रथम पक्षकार उक्त सम्पत्ति को मृतक के दायद माना जाकर उन्हें स्वामी के रूप में रखेगा और उस पर कब्जा करेगा।

(2) यह कि द्वितीय पक्षकार, जो मृतक की भारतीय पत्नी च छ से प्राकृतिक रूप से जन्मी पुत्री है, अनुसूची के मद संख्या–3 और 4 में वर्णित और उल्लिखित सम्पत्ति पर एकमात्र कब्जा और दखल किये हैं तथा मृतक तथा ख ग के संयुक्त नाम से नियतावधि जमा (Fixed Deposit), जो दोनों में किसी या उत्तरजीवी (Survivor) को देय थी, और जिसका उल्लेख अनुसूची ''ख'' (जंगम सम्पत्ति की सूची) के मद संख्या–1 और 2 में उल्लिखित तथा वर्णित है और द्वितीय पक्षकार के अधिकार में है, उक्त ख ग के द्वारा मृतक दायद माना जाकर उन्हें स्वामी के रूप में रखेगा और कब्जा रखेगा।

(3) यह कि तृतीय पक्षकार, जो अभिकथित पत्नी है और मृतक की विधवा थी और मृतक के साथ अनुसूची ''क'' के मद संख्या–5 पर उल्लिखित निवास–गृह में रहती थी, उक्त निवास गृह तथा अनुसूची ''ख'' के मद संख्या–3 तथा 4 पर उल्लिखित सम्पत्ति को उक्त मृतक के विधवा तथा दायद के रूप में अपने पास रखेगी, उनकी स्वामी होगी तथा उन पर कब्जा करेगी।

(4) यह कि आगे पक्षकारों द्वारा एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि वे आपस में इस बात पर सहमत हैं कि यह पारिवारिक विवादों का समाधान पक्षकारों के बीच अपने–अपने अधिकारों के तथा मृतक की सम्पत्ति में होने वाले उनके दावों के विवादों को समाप्त करता है तथा प्रत्येक पक्षकार इस पारिवारिक विवादों के समाधान के प्रयोजनार्थ एक–दूसरे के दावे को स्वीकार करता है। इन पारिवारिक विवादों के समाधान के

साक्ष्यस्वरूप उक्त क ख (प्रथम पक्षकार), ख ग (द्वितीय पक्षकार) और ग घ तृतीय पक्षकार ने..... पर इस विलेख पर प्रथम बार उपरिलिखित दिन तथा वर्ष को हस्ताक्षर कर दिये हैं।

अनुसूची ''क'' (स्थावर सम्पत्ति की अनुसूची)

(1) मकान संख्या.....जिसकी चौहद्दी नीचे दी गयी है तथा
जिस पर क ख और उसकी संतान दखल किये हैं।

(2) मकान संख्या.....जिसकी चौहद्दी नीचे दी गयी है और जो विभिन्न आभोगियों के दखल में है और वे किरायेदार क ख को भाटक की अदायगी कर रहे हैं और उनकी सूची नीचे दी जा रही है : आभोगियों की सूचीः–

(3) मकान संख्या.....जिसकी चौहद्दी नीचे दी गयी है और जो ख ग और उसके पति तथा बच्चों के कब्जे में है।

(4) भवन संख्या.....जिसकी चौहद्दी नीचे दी गयी है, जिस पर अपने निवास–गृह के रूप में ग घ मृतक तथा ग घ दखल किये हुए थे और जो अब ग घ के दखल में है।

अनुसूची ''ख'' (जंगम सम्पत्ति की सूची)

(1) दिनांक.....की रसीद संख्या.....के अधीन दि0..... बैंक लि0, लखनऊ, में नियतावधि जमा के रूप में मृतक तथा ख ग के संयुक्त नाम से .....रु0 की जमा धनराशि, जो कि दोनों में से किसी अथवा उत्तरजीवी को देय थी।

(2) दिनांक.....की रसीद संख्या.....के अधीन दि0..... बैंक लि0, लखनऊ, में नियतावधि जमा के रूप में मृतक तथा ख ग के संयुक्त नाम से .....रु0 की जमा धनराशि, जो कि दोनों में से किसी अथवा उत्तरजीवी को देय थी।

(3) ग घ के नाम के.....रु0 के मूल्य के पोस्ट आफिस सेविंग सर्टिफिकेट पर जिसे मृतक के नाम से दि0.....बैंक लिमिटेड, लखनऊ, में सुरक्षित जमा (Safe deposit) में रखा गया था।

(4) स्थायक (Fixture) अन्वायुक्तियॉ (Fittings), फर्नीचर तथा उपर्युक्त अनुसूची के मद–5 में उल्लिखित भू–गृहादि में लगे या होने वाले सभी घरेलू माल।

साक्षी :– (हस्ताक्षरित)

1.नाम प्रथम पक्षकार

2.नाम (हस्ताक्षरित)
द्वितीय पक्षकार

(हस्ताक्षरित)
तृतीय पक्षकार